इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 503] भोपाल, बुधवार, दिनांक 30 दिसम्बर 2020—पौष 9, शक 1942

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2020

क्र. एफ ए 3-47-2020-1-पाँच (72).—राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 44 की उपधारा (1) के साथ पठित मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम के नियम 80 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, एतदद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-11-2020-1-पाँच (43) दिनांक 20 जुलाई, 2020 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, "30 सितम्बर 2020" अंकों और शब्दों के स्थान पर "31 अक्टूबर, 2020" अंक और शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा.

2. इस अधिसूचना को सितम्बर, 2020 के 30वें दिन से लागू माना जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2020

क्र. एफ ए 3-47-2020-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-47-2020-1-पांच (72), दिनांक 30 दिसम्बर, 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, date 30/12/2020

No. F A 3-47/2020/1/V(72) : In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 44 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), read with rule 80 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in the this department's notification, No. F A 3-11/2020/1/V (43) dated 20 July, 2020, namely:-

In the said notification, for the figures, letters and words "30thSeptember, 2020", the figures, letters and words "31stOctober, 2020" shall be substituted.

2. This notification shall come into force with effect from the 30th day of September, 2020.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 30 /12/2020

क्रमांक एफ ए 3–51/2019/1/पांच (73): राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम48 के उपनियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा,इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3–51/2019/1/पांच (29) भोपाल, दिनांक 4 मई 2020 में निम्नलिखित और संशोधन करती है,अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना के पहले पैरा में,-

(i) "किसी वित्तीय वर्ष" शब्दों के स्थान पर "2017-18 से किसी भी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) "रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को माल या सेवा या दोनों की" शब्दों के पश्चात् "या निर्यात के लिए" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

2. इस अधिसूचना को सितम्बर, 2020 के 30 वें दिन से लागू माना जाएगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

क्रमांक एफ ए 3–51/2020/1/पांच भोपाल, दिनांक 30 /12/2020

भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3–51/2020/1/पांच (73), दिनांक 30 दिसम्बर, 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रसारित किया जाता है

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, Dated 30 /12 /2020

No. F A 3-51/2019/1/V (73): In exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 48 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in this department's notification No. F A 3-51/2019/1/V (29) Bhopal date 04.05.2020, namely:-

In the said notification, in the first paragraph, -

(i) for the words "a financial year", the words and figures "any preceding financial year from 2017-18 onwards" shall be substituted;

(ii) after the words "goods or services or both to a registered person", the words "or for exports" shall be inserted.

2. This notification shall come into force with effect from the 30th day of September, 2020.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 30 /12/2020

क्रमांक एफ ए 3–48/2019/1/पांच (74) : राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर 2017 के नियम 46 के छठे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, एतदद्वारा,इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3–48/2019/1/पांच(31) भोपाल, दिनांक 4 मई 2020 में निम्नलिखित संशोधन करती है,अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) पहले अनुच्छेद में, "एकवित्तीय वर्ष" शब्दों के स्थान पर "2017-18 से किसी भी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

(ii) दूसरे अनुच्छेद में, "1 अक्टूबर, 2020" अंकों और शब्दों के स्थान पर "1 दिसम्बर, 2020" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।

2. इस अधिसूचना को सितम्बर,2020 के 30 वें दिन से लागू माना जाएगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

क्रमांक एफ ए 3–48/2019/1/पांच भोपाल, दिनांक 30 /12/2020

भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3–48/2019/1/पांच (74), दिनांक 30 दिसम्बर, 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रसारित किया जाता है

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, Dated 30 /12 /2020

No. F A 3-48/2019/1/V(74): In exercise of the powers conferred by sixth proviso to rule 46 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in this department's notification No. F A 3-48/2019/1/V (31) Bhopal date 04.05.2020, namely:-

In the said notification,–

(i) in the first paragraph, for the words "a financial year", the words and figures "any preceding financial year from 2017-18 onwards" shall be substituted;

(ii) in the second paragraph, for the figures, letters and words "1st day of October", the figures, letters and words "1st day of December" shall be substituted.

2. This notification shall come into force with effect from the 30th day of September, 2020.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 30 /12/2020

क्रमांक एफ ए 3–46/2020/1/पांच (76) : राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को, जिन्हे मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 48 के उप-नियम (4) के तहत निर्दिष्ट तरीके से बीजक तैयार करना हैं, परंतु उन्होने उक्त तरीके के अलावा अन्य तरीके से बीजक तैयार किया है, ऐसे व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करती है जो 1 अक्टूबर, 2020 से 31 अक्टूबर, 2020 की अवधि के दौरान विशेष प्रक्रिया का पालन

करेंगे, उक्त व्यक्ति ऐसे बीजक की तारीख से तीस दिनों के भीतर, सामान्य माल एवं सेवा करइलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर प्ररूपजीएसटीआईएनवी-01 में निर्दिष्ट विवरण अपलोड करके ऐसे बीजक के लिए एक बीजक संदर्भ संख्या (आईआरएन) प्राप्त करेंगे एवं ऐसा ना करने पर वह बीजक मान्य नहीं माना जाएगा।

2. इस अधिसूचना को सितम्बर, 2020 के 30 वें दिन से लागू माना जाएगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

क्रमांक एफ ए 3—46 / 2020 / 1 / पांच भोपाल, दिनांक 30 / 12 / 2020

भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3—46 / 2020 / 1 / पांच (76), दिनांक 30 दिसम्बर, 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रसारित किया जाता है

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, Dated 30 /12 /2020

No. F A 3-46/2020/1/V(76): In exercise of the powers conferred by section 148 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the registered persons required to prepare the tax invoice in the manner specified under sub-rule (4) of rule 48 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017,who have prepared tax invoice in a manner other than the said manner, as the class of persons who shall, during the period from the 1st day of October, 2020 to the 31st day of October, 2020, follow the special procedure such that the said persons shall obtain an Invoice Reference Number (IRN) for such invoice by uploading specified particulars in **FORM GST INV-01**on the Common Goods and Services Tax Electronic Portal, within thirty days from the date of such invoice, failing which the same shall not be treated as an invoice.

2. This notification shall come into force with effect from the 30th day of September, 2020.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 30 /12/2020

एफ ए 3–48/2020/1/पांच (77): राज्य सरकार,मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन)अधिनियम,2020 (2020 का 2)(जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 1 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 30 जून,2020 को उस तारीख के रूप मे उक्त अधिनियम की धारा 2 और धारा 13 के उपबंध प्रवृत्त मानें जावेगे, नियत करती हैं ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

क्रमांक एफ ए 3–48/2020/1/पांच भोपाल, दिनांक 30/12/2020

भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3–48/2020/1/पांच (77), दिनांक 30/12/2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रसारित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, Dated 30 /12 /2020

No.F A 3-48/2020/1/V(77): In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2020 (2 of 2020), (hereafter in this notification referred to as the said Act), the State Government, hereby appoints the 30th day of June, 2020, as the date on which the provisions of sections 2 and 13 of the said Act, shall be deemed to have come into force.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 30 /12/2020

क्रमांक एफ ए 3–49/2017/1/पांच (78) : राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर 2017 के नियम 46 के पहले परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा,इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-49-2017-1-पांच(68) भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 2017 में निम्नलिखित संशोधन करती है,अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी, सारणी के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित होगा, अर्थात् :-

"सारणी

क्रम संख्या (1)	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में सकल आवर्त (2)	नाम पद्धति संहिता के सामंजस्यपूर्ण प्रणाली के अंको की संख्या(एच एस एन कोड) (3)
1.	पांच करोड़ रुपए तक	4
2.	पांच करोड़ रुपए से अधिक	6

बशर्ते कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका सकल आवर्त पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में पांच करोड़ रुपए तक है, उक्त नियमों के अधीन उसके द्वारा जारी किसी (अरिजस्ट्रीकृत व्यक्तियों की आपूर्ति के) कर बीजक में उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट एचएसएन कोड के अंकों की संख्या का उल्लेख करने के लिए बाध्य नहीं है।"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

क्रमांक एफ ए 3–49/2017/1/पांच भोपाल, दिनांक 30/12/2020

भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3–49/2017/1/पांच (78), दिनांक 30 दिसम्बर, 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रसारित किया जाता है

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, Dated 30 /12 /2020

No.F A 3-49/2017/1/V(78): In exercise of the powers conferred by first proviso to rule 46 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in this department's notification No. F-A 3-49-2017-1-V (68) Bhopal date 03.07.2017, namely:-

In the said notification, with effect from the 01st day of April, 2021, for the Table, the following shall be substituted, namely,-

"Table

Serial Number (1)	Aggregate Turnover in the preceding Financial Year (2)	Number of Digits of Harmonised System of Nomenclature Code (HSN Code) (3)
1.	Up to rupees five crore	4
2.	more than rupees five crore	6

Provided that a registered person having aggregate turnover up to five crore rupees in the previous financial year may not mention the number of digits of HSN Code, as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table in a tax invoice issued by him under the said rules in respect of supplies made to unregistered persons.".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 30 /12/2020

एफ ए 3–50/2020/1/पांच (79): राज्य सरकार,मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन)अधिनियम, 2020 (2020 का 2)(जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 1 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,18 मई ,2020 को उस तारीख के रूप मे उक्त अधिनियम की धारा 11 के उपबंध प्रवृत्त मानें जावेगे,नियत करती हैं ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

क्रमांक एफ ए 3–50/2020/1/पांच भोपाल, दिनांक 30 /12/2020

भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3–50/2020/1/पांच (79), दिनांक 30 दिसम्बर, 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रसारित किया जाता है

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, Dated 30 /12 /2020

No. F A 3-50/2020/1/V(79): In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2020 (2 of 2020), (hereafter in this notification referred to as the said Act), the State Government, hereby, appoints the 18th day of May, 2020, as the date on which the provisions of sections 11 of the said Act, shall be deemed to have come into force.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 30 /12/2020

क्रमांक एफ ए 3-57/2020/1/पाँच (82) : राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2019 (2020 का 1) (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 1 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 10 नवंबर, 2020 को उस तारीख के रूप में जिसको उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबंध प्रवृत्त होंगे, नियत करती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

क्रमांक एफ ए 3–57/2020/1/पांच भोपाल, दिनांक 30 /12/2020

भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3–57/2020/1/पांच (82), दिनांक 30/12/2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रसारित किया जाता है

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, date 30 /12/2020

No. F A 3-57/2020/1/V (82) : In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax (Second Amendment) Act, 2019 (1 of 2020), (hereafter in this notification referred to as the said Act), the State Government, hereby appoints the 10th day of November, 2020, as the date on which the provisions of sections 7 of the said Act, shall come into force.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 30 /12/2020

क्रमांक एफ ए 3-59/2020/1/पाँच (83) : राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 39 की उपधारा (7) के परंतुक के साथ पठित धारा 39 की उपधारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को, जो की एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 14 में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न हैं, जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में पांच करोड़ रुपए तक का कुल आवर्त है और जिन्होंने मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 61क के उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक त्रिमास के लिए विवरणी दाखिल करने का विकल्प चुना है, उन व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करती है जो निम्नलिखित शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जनवरी, 2021 से प्रत्येक त्रिमास के लिए विवरणी दाखिल करेंगे और उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (7) के परन्तुक के अनुसार प्रत्येक मास में शोध्य कर का संदाय करेंगे, अर्थात्:-

(i) ऐसे विकल्प के प्रयोग की तारीख को पूर्ववर्ती मास के लिए शोध्य विवरणी दाखिल की जा चुकी है;

(ii) जहां ऐसे विकल्प का प्रयोग एक बार कर लिया गया है, वहां वे भविष्यवर्ती कर अवधियों के लिए चयनित विकल्प के अनुसार विवरणी दाखिल करते रहेंगे, यदि वे उसका पुनरीक्षण नहीं करते ।

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसका कुल आवर्त किसी वित्तीय वर्ष में त्रिमास के दौरान पांच करोड़ रुपए से अधिक हो जाता है, तो वह उत्तरवर्ती त्रिमास के पहले मास से त्रैमासिक आधार पर विवरणी दाखिल करने के लिए पात्र नहीं होगा ।

(3) नीचे सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट वर्ग के अन्तर्गत आने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लिए, जिसने अक्तूबर, 2020 की कर अवधि के लिए विवरणी 30 नवम्बर, 2020 को या उसके पूर्व दाखिल कर दी है, यह समझा जाएगा कि उन्होंने उक्त नियमों के नियम 61क के उपनियम (1) के तहत उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथाउल्लिखित विवरणी के मासिक या त्रैमासिक आधार पर दाखिल करने का विकल्प चुना है:-

सारणी

क्र. सं.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का वर्ग	समझा गया विकल्प
(1)	(2)	(3)
1.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनका कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपए तक है, जिन्होंने चालू वित्तीय वर्ष में त्रैमासिक आधार पर प्ररुप जीएसटीआर-1 दाखिल किया है ।	त्रैमासिक विवरणी
2.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनका कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपए तक है, जिन्होंने चालू वित्तीय वर्ष में मासिक आधार पर प्ररुप जीएसटीआर-1 दाखिल किया है ।	मासिक विवरणी
3.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनका कुल आवर्त पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ रुपए से अधिक और 5 करोड़ रुपए तक है ।	त्रैमासिक विवरणी

(4) ऊपर सारणी के स्तंभ (2) के अन्तर्गत आने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, 5 दिसंबर,2020 से 31 जनवरी,2021 तक अवधि के दौरान सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से डिफ़ॉल्ट विकल्प बदल सकते हैं ।

2. इस अधिसूचना को नवंबर, 2020 के 10 वें दिन से लागू माना जाएगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

क्रमांक एफ ए 3—59 / 2020 / 1 / पांच भोपाल, दिनांक 30 / 12 / 2020

भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3—59 / 2020 / 1 / पांच (83), दिनांक 30 / 12 / 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रसारित किया जाता है

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, date 30/12/2020

No. F A 3-59/2020/1/V (83) : In exercise of the powers conferred by proviso to sub-section (1) of section 39 read with proviso to sub-section (7) of section 39 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the registered persons, other than a person referred to in section 14 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), having an aggregate turnover of up to five crore rupees in the preceding financial year, and who have opted to furnish a return for every quarter, under sub-rule (1) of rule 61A of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules) as the class of persons who shall, subject to the following conditions and restrictions, furnish a return for every quarter from January, 2021 onwards, and pay the tax due every month in accordance with the proviso to sub-section (7) of section 39 of the said Act, namely:—

(i) the return for the preceding month, as due on the date of exercising such option, has been furnished:

(ii) where such option has been exercised once, they shall continue to furnish the return as per the selected option for future tax periods, unless they revise the same.

(2) A registered person whose aggregate turnover crosses five crore rupees during a quarter in a financial year shall not be eligible for furnishing of return on quarterly basis from the first month of the succeeding quarter.

(3) For the registered person falling in the class specified in column (2) of the Table below, who have furnished the return for the tax period October, 2020 on or before 30th November, 2020, it shall be deemed that they have opted under sub-rule (1) of rule 61A of the said rules for the monthly or quarterly furnishing of return as mentioned in column (3) of the said Table:-

Table

Sl. No.	Class of registered person	Deemed Option
(1)	(2)	(3)
1.	Registered persons having aggregate turnover of up to 1.5 crore rupees, who have furnished **FORM GSTR-1** on quarterly basis in the current financial year	Quarterly return
2.	Registered persons having aggregate turnover of up to 1.5 crore rupees, who have furnished **FORM GSTR-1** on monthly basis in the current financial year	Monthly return
3.	Registered persons having aggregate turnover more than 1.5 crore rupees and up to 5 crore rupees in the preceding financial year	Quarterly return

(4) The registered persons referred to in column (2) of the said Table, may change the default option electronically, on the common portal, during the period from the 5th day of December, 2020 to the 31st day of January, 2021.

2. This notification shall be deemed to come into force with effect from the 10th day of November, 2020.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 30 /12/2020

क्रमांक एफ ए 3-58/2020/1/पाँच (84) : राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 सहपठित धारा 39 की उप धारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, उक्त अधिनियम की धारा 39 की उप धारा (1) के परन्तुक के अधीन अधिसूचित रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को उन व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करती है जिन्होंने प्रत्येक त्रिमास या उसके भाग के लिए विवरणी दाखिल करने का विकल्प चुना है, जो त्रिमास के पहले मास या दूसरे मास या दोनों मास में उस विशेष प्रक्रिया का अनुसरण कर सकेंगे कि उक्त व्यक्ति निम्नलिखित के समानुपाती रकम का इलेक्ट्रानिक नकद लेजर में जमा करके उक्त अधिनियम की धारा 39 की उप धारा (7) के परन्तुक के अधीन शोध्य कर का संदाय कर सकेंगे :-

(i) जहां विवरणी त्रैमासिक आधार पर दाखिल की जाती है वहां पूर्ववर्ती त्रिमास के लिए विवरणी में इलेक्ट्रानिक नकद लेजर घटाकर संदत्त कर दायित्व का पैंतीस प्रतिशत या

(ii) जहां विवरणी मासिक आधार पर दाखिल की जाती है वहां तत्कालीन पूर्ववर्ती त्रिमास के अंतिम मास के लिए विवरणी में इलेक्ट्रानिक नकद लेजर घटाकर संदत्त कर दायित्व:

परन्तु जहां -

(क) त्रिमास के पहले मास के लिए, जहां उक्त मास के लिए इलेक्ट्रानिक नकद लेजर या इलेक्ट्रानिक प्रत्यय लेजर में बकाया, कर दायित्व के लिए पर्याप्त है या जहा कर दायित्व कुछ नहीं है।

(ख) त्रिमास के दूसरे मास के लिए जहां त्रिमास के पहले और दूसरे मास के लिए इलेक्ट्रानिक नकद लेजर या इलेक्ट्रानिक प्रत्यय लेजर में बकाया, संचयी कर दायित्व के लिए पर्याप्त है या जहां कर दायित्व कुछ नहीं है,

वहां ऐसी कोई रकम जमा करना अपेक्षित नहीं हो सकेगा:

परन्तु यह और कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उक्त विशेष प्रक्रिया के लिए पात्र नहीं होगा यदि उनसे पूर्ववर्ती ऐसे मास की पूर्ण कर अवधि के लिए विवरण दाखिल नहीं की है।

स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, "पूर्ण कर अवधि" पद से वह कर अवधि अभिप्रेत है जिसमें कोई व्यक्ति कर अवधि के पहले दिन से कर अवधि के अंतिम दिन तक रजिस्ट्रीकृत होता है।

2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2021 से प्रवृत्त होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

क्रमांक एफ ए 3–58/2020/1/पांच भोपाल, दिनांक 30 /12/2020

भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3–58/2020/1/पांच (84), दिनांक 30/12/2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रसारित किया जाता है

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, date 30/12/2020

No. F A 3-58/2020/1/V (84) : In exercise of the powers conferred by section 148 read with sub-section (7) of section 39 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), (hereinafter referred to as the said Act), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the registered persons, notified under proviso to sub-section (1) of section 39 of the said Act, who have opted to furnish a return for every quarter or part thereof, as the class of persons who may, in first month or second month or both months of the quarter, follow the special procedure such that the said persons may pay the tax due under proviso to sub-section (7) of section 39 of the said Act, by way of making a deposit of an amount in the electronic cash ledger equivalent to, -

(i) thirty five percent of the tax liability paid by debiting the electronic cash ledger in the return for the preceding quarter where the return is furnished quarterly; or

(ii) the tax liability paid by debiting the electronic cash ledger in the return for the last month of the immediately preceding quarter where the return is furnished monthly:

Provided that no such amount may be required to be deposited-

(a) for the first month of the quarter, where the balance in the electronic cash ledger or electronic credit ledger is adequate for the tax liability for the said month or where there is nil tax liability ;

(b) for the second month of the quarter, where the balance in the electronic cash ledger or electronic credit ledger is adequate for the cumulative tax liability for the first and the second month of the quarter or where there is nil tax liability:

Provided further that registered person shall not be eligible for the said special procedure unless he has furnished the return for a complete tax period preceding such month.

Explanation- For the purpose of this notification, the expression "a complete tax period" means a tax period in which the person is registered from the first day of the tax period till the last day of the tax period.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of January, 2021.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 30 /12/2020

क्रमांक एफ ए 3-51/2019/1/पाँच (85) :राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 48 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, एतद् द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-51/2019/1/पाँच (29) भोपाल, दिनांक 04 मई, 2020 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, प्रथम अनुच्छेद में, 01 जनवरी 2021 से प्रभावी, शब्द "पांच सौ करोड़ रुपये" के स्थान पर शब्द "एक सौ करोड़ रुपये" प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

क्रमांक एफ ए 3–51/2019/1/पांच भोपाल, दिनांक 30/12/2020

भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3–51/2019/1/पांच (85), दिनांक 30/12/2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रसारित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, date 30/12/2020

No. F A 3-51/2019/1/V (85) : In exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 48 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in this department's notification No. F A 3-51/2019/1/V (29) Bhopal date 04.05.2020, namely:-

In the said notification, in the first paragraph, with effect from the 1st day of January, 2021, for the words "five hundred crore rupees", the words "one hundred crore rupees" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 30 /12/2020

एफ ए 3–42/2019/1/पांच (80): राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उपधारा (3) और (4), धारा 11 की उपधारा (1),धारा 15 की उपधारा (5) और धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित मे आवश्यक है, और परिषद की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-42/2019/1/पांच (53) भोपाल, दिनांक 30 जून2017 में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 19ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अतःस्थापित किया जाएगा,यथाः-

"19ग	9965	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, अंतरिक्ष कारपोरेशन लिमिटेड या न्यु स्पेस इण्डिया लिमिटेड द्वारा आपूर्ति की गयी उपग्रह प्रक्षेपण सेवा।	शून्य	शून्य ;"

2. यह अधिसूचना दिनांक 16 अक्टूबर, 2020 से लागू होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

क्रमांक एफ ए 3–42/2019/1/पांच भोपाल, दिनांक 30 /12/2020

भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3–42/2019/1/पांच (80), दिनांक 30 दिसम्बर, 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रसारित किया जाता है

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, Dated 30/12 /2020

F A 3-42/2019/1/V(80): In exercise of the powers conferred by sub-section (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in this department's notification No. F A- 3-42/2017/1/V (53) Bhopal date 30.06.2017, namely:-

In the said notification, in the Table, after serial number 19B and the entries relating thereto, the following shall be inserted namely:-

"19C	9965	Satellite launch services supplied by Indian Space Research Organisation, Antrix Corporation Limited or New Space India Limited.	Nil	Nil."

2. This notification shall come into force with effect from the 16st day of October, 2020.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2020.